

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-१३४ / ग्यारह-9(47)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(०४)-2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 50 की उपधारा (1) और (3), धारा 54 की उपधारा (12) एवं धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, परिषद की सिफारिशों पर, राज्यपाल, नीचे तालिका के स्तम्भ-2 में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजनों हेतु उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित प्रतिवर्ष ब्याज की दरें निर्धारित करते हैं।

तालिका

क्रम संख्या (1)	धारा (2)	ब्याज की दर (3)
1	धारा 50 की उपधारा 1	18 प्रतिशत
2	धारा 50 की उपधारा 3	24 प्रतिशत
3	धारा 54 की उपधारा 12	6 प्रतिशत
4	धारा 56	6 प्रतिशत
5	धारा 56 का परन्तुक	9 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।